

बिहार सरकार  
पथ निर्माण विभाग

प्रत्रांक:- के०नि०सं०27/प्रा० (सड़क सुरक्षा)-01/16-303 wE दिनांक:- 02-5-2017

प्रेषक,

लक्ष्मी नारायण दास,  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

1. सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० उपभाग सहित), पथ निर्माण विभाग, बिहार,
2. सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित), पथ निर्माण विभाग, बिहार,
3. सभी कार्यपालक अभियंता, सभी कार्य प्रमंडल (रा०उ०प० प्रमंडल सहित), पथ निर्माण विभाग, बिहार,

विषय:- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सड़क सुरक्षा पर गठित कमिटी के द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना की अध्यक्षता में दिनांक-26.04.2017 को अपराह्न 12.30 बजे आहूत बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में कहना है कि पथ निर्माण विभाग अंतर्गत वर्तमान एवं भविष्य की वैसे सभी परियोजनाएँ जिनकी लागत 10 करोड़ से अधिक है, में Design Stage Auditors के द्वारा किए गए Recommendations का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पथों का निर्माण कराया जाए। साथ ही Construction stage एवं Operational stage में Road Safety Auditors के द्वारा किये गये Recommendations को भी Implement किया जाय।

पथों के दोनों तरफ 100 मी० के अंदर वैसे Hoardings एवं Objects, जो Driver को Obstruct or Distract करता हो, को स्थानीय प्रशासन से मिलकर हटाया जाय एवं इसकी सूचना संलग्न प्रपत्र में सड़क सुरक्षा कोषांग को उपभाग के माध्यम से शीघ्र उपलब्ध करायी जाय। ज्ञात हो कि नोडल पदाधिकारी (सड़क सुरक्षा कोषांग)-सह-निदेशक, प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान, बिहार, पटना के पत्रांक 187 दिनांक 23.02.2017 के द्वारा Hoardings and Objects के Removal का Status Report की मांग पूर्व में भी की गई थी।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन



अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त  
-सह- विशेष सचिव  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

## विहित प्रपत्र

उपभाग-

अंचल-

प्रमंडल-

क्रम संख्या	पथ का नाम-	कुल लम्बाई	पथों के दोनों तरफ 100 मीटर के अंदर वैसे Hoardings एवं Objects जो Driver को Obstruct या Distract करता हो की कुल संख्या	हटाये गये Hoardings एवं Objects की कुल संख्या

कार्यपालक अभियंता

पथ / सार्वजनिक प्रमंडल

पथ निर्माण विभाग